विविध बैंक प्रकरण सं. 07/2021 (GCMS 2021/16) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साधुवाली, श्रीगंगानगर जरिये श्री मनोज कटारिया प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, डीएसएच, प्रथम तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स गुरूनानक एग्रो ईक्विपमेंट जरिये प्रो. श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह, निवासी प्लॉट नं 371 व 372, गुरूद्वारे के सामने, नजदीक बिश्नोई मन्दिर, 1 डी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स गुरूनानक एग्रो ईक्विपमैंट–प्रो. श्री गुरमीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 06.12.2013 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **मैसर्स गुरूनानक एग्रो ईक्विपमेंट का स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण** वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक की गई है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.10.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 11.08.2020 को 11,35,143/–रूपये ऋण राशि व इस पर [illegible] के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है [illegible] 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 0[illegible].2020 को उक्त ब[illegible]राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.09.2020 को भिजवाये गये है जिसके परिणामस्वरूप **पत्रावली में पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईनमैंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **मैसर्स गुरूनानक एग्रो ईक्विपमेंट द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा गया स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण** वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स गुरूनानक एग्रो ईक्विपमेंट** को 10.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 06.12.2013 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **मैसर्स गुरूनानक एग्रो ईक्विपमेंट** का उक्त **स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण** वर्तमान और सभी दृष्टि बंधक संपतिया, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **28.10.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 09.09.2020 को पोस्ट अ... रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है,** जिसकी रसीद की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी मै गुरूनानक एग्रो ईक्विपमैंट – प्रो. श्री गुरमीत सिंह को धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुके है और परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखा गया स्टॉक **सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण** वर्तमान और सभी दृष्टि बंधक संपतिया जो ऋणी मै. गुरूनानक एग्रो ईक्विपमैंट के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, उक्त स्टॉक/सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.08.2020 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.08.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी मै. गुरूनानक एग्रो ईक्विपमैंट को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.09.2020 को जारी [illegible] पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। [illegible] ईक्विपमैंट को धारा 13(2) की तामील के परिणामस्[illegible] आन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपल[illegible] है। जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मै. गुरूनानक एग्रो ईक्विपमैंट– प्रो. गुरमीत सिह का स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक की गई है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मै. गुरूनानक एग्रो ईक्विपमैंट– प्रो. गुरमीत सिह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखा गया स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी दृष्टि बंधक संपतिया का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:56 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर